पत्रांक–12/प्रशि०–01/2010 – 53

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET),
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (PTEC),
प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान, (BIET), बिहार।

पटना, दिनांक:– 17/02/2021

विषय :– सत्र 2020–2022 में D.El.Ed कोर्स में नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय विस्तार के संबंध में।

प्रसंग– पत्रांक–315 दिनांक–16.12.2020 ।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का निदेश करें। विषयांकित कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि 15.02.2021 तक नामांकन स्थिति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रायः संस्थानों द्वारा नामांकन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। अतएव नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संबंधित सभी संस्थानो को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं:–

1. संस्थान में 15.02.2021 के बाद रिक्त रह गए पद पर सीधे चयन सूची प्रकाशित कर नामांकन की कार्रवाई नहीं की जायगी, बल्कि रिक्त पद के विरूद्ध कोटिवार आवश्यकतानुसार मेधाक्रम से दो गुनी या तीन गुनी संख्या में औपबंधिक सूची तैयार कर अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जाएगा तथा सूची वेबसाइट पर दिया जाएगा। जिस संस्थान में प्रथम अथवा द्वितीय सूची से नामांकन का कार्य 15.02.2020 के बाद निर्धारित है उसे पूरा किया जा सकेगा।
2. काउन्सिलिंग के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को SMS द्वारा भी सूचित करना अनिवार्य है।
3. काउन्सिलिंग हेतु सूची प्रकाशित करने तथा अभ्यर्थियों को सूचित करने के पूर्व, सूची की गहन जॉंच आवश्यक है तथा जॉंच के क्रम में आश्वस्त हो लें कि सूची में वैसे अभ्यर्थियों का नाम नहीं हो जिनका नाम पूर्व मे प्रकाशित चयनित सूची अथवा पूर्व में काउन्सेलिंग के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों की सूची में आ चुका है। साथ ही पॉलीटेकनिक, शास्त्री आदि समकक्ष योग्यताधारी (मौलवी तथा +2 वोकेशनल कोर्स को छोडकर) अभ्यर्थियों का नाम सूची में नहीं हो। जिन अभ्यर्थियों ने उर्दू विषय के विरूद्ध आवेदन दिया है, उन्हें नियमानुसार मात्र उर्दू विषय के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध नामांकन पर विचार किया जाना है।
4. काउन्सेलिंग की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि संस्थान के वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना (सूची के साथ)/SMS द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करने की तिथि के बीच मे कम से कम तीन दिन का अन्तर हो।

5. काउन्सेलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति (साक्ष्य के रूप मे) अंकित करवाना, उनके प्रमाण–पत्रों का मिलान करना अनिवार्य है। रिक्त पद के अनुसार मेधाक्रम में कोटिवार रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची दूसरे दिन संस्थान के वेबसाईट पर तथा SMS एवं दूरभाष द्वारा सूचना देना अनिवार्य होगा। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों को कम से कम दो दिनों का समय दिया जाना चाहिए। नामांकन शुल्क डी.डी. द्वारा अथवा ऑन–लाईन संस्थान के खाता में नियमानुसार लिया जा सकता है।

6. दिनांक–15.02.2021 के पश्चात् संस्थान द्वारा किए गए प्रथम काउन्सेलिंग के पश्चात् भी यदि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो यह प्रक्रिया पुनः दुहरायी जाएगी। दिनांक–15.02.2021 के पश्चात् मात्र दो ही बार काउन्सेलिंग की प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दी जाती है।

7. प्रत्येक काउन्सेसिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उससे प्राप्त नामांकन परिणाम संबंधी प्रतिवेदन ई–मेल directoratraining@gmail.com के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. दो काउन्सेलिंग के पश्चात् जिस संस्थान द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायेगी, वहाँ के प्राधार्य साक्ष्य सहित विशिष्ट कारण (जो अपरिहार्य हो तथा उसके कारण नामांकन बाधित हुआ हो) प्रतिवेदन समर्पित करने पर निर्णय लिया जाएगा।

9. सामान्य प्रशासन, विभाग, बिहार, पटना से अद्यतक स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नामांकन के आरक्षण देने हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जिस संस्थान में इस कोटि के अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, उस संस्थान में नियमानुसार पद सुरक्षित रहेगा जिस पर निर्णयानुसार बाद में नामांकन होगा। जिस संस्थान में इस कोटि के अभ्यर्थी नहीं है उस संस्थान मे इनके पद सुरक्षित नहीं रहेगा तथा नियमानुसार सभी पदों पर नामांकन की कार्रवाई की जायगी।

10. नामांकित प्रशिक्षुओं का कक्षा संचालन दिनांक–01.03.2021 से निश्चित रूप से प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन

17/2/21

(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।